न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 15/2022

श्री रामदेव बैरवा पुत्र गोपाल बैरवा निवासी ग्राम अरडुस्या तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **20.06.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20—12—2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :—

पटवारी हल्का कुहाडा के पी—35 के फिस रजिस्टर दिनांक 1.1.1994 से 1.12.1998 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि। जिस फिस रजिस्टर पी—35 से पटवारी नकले जारी करता है की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक को पत्र क्रिमांक 622 दिनांक 25—5—2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा द्वारा पत्र क्रमांकः 2601 दिनांक 07—06—2022 से जवाब प्रेषित किया। जवाब के अवलोकन से जाहिर होता है कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला—टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर टोंक